



2026:AHC:65806

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 5520 वर्ष 2026

भोला और एक अन्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अनिरुद्ध कुमार उपाध्याय, अरविंद अग्रवाल

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदकों के अधिवक्ता श्री अरविंद अग्रवाल और राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदकों की ओर से दायर किया गया है, जिसमें मुकदमा लंबित रहने के दौरान थाना शोरातगढ़, जिला सिद्धार्थ नगर में दर्ज अपराध संख्या-170 वर्ष 2025 में उन्हें ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी आवेदक को धारदार हथियार से हमले की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और घायल दिनेश, अवधेश और गोपाल ने सह-आरोपी मोहित पर धारदार हथियार से हमले की भूमिका सौंपी है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक संख्या-1 का भ०द०वि० की धारा 323, 504, 506 के तहत अपराधों से संबंधित दो मामलों का आपराधिक इतिहास रहा है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक, जो 22.10.2025 से जेल में बंद हैं, वे वचन देते हैं कि यदि उन्हें अनुमति दी जाती है तो वे स्वतंत्रता का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष निकलने की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों को ज़मानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया है।

5. किसी भी आवेदक को धारदार हथियार से हमले की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और घायल दिनेश, अवधेश और गोपाल ने सह-आरोपी मोहित पर धारदार हथियार से हमला करने की भूमिका सौंपी है। आवेदक 22.10.2025 से जेल में बंद हैं।

6. तथ्यों, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत ज़मानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

7. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदकों- भोला और विनोद को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो ज़मानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए: -

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उन्हें अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे/डराएंगे।

(iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेंगे कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वे साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं मानी जाएगी। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 30, 2026

अभिषेक

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)